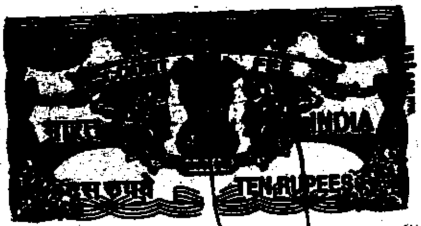

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा/2017/2852

प्रार्थी अभिभाषक श्री [illegible]
द्वारा प्रस्तुत [illegible]
दिनांक 31-7-17
अधीक्षक 31.7.17
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

बद्रीलाल पिता श्री नंदा जी जाति बागरी
निवासी ग्राम भीलसुड़ा तहसील नागदा
जिला उज्जैन ----- आवेदक

विरूद्ध

शोभाराम पिता देवीसिंह
निवासी ग्राम भीलसुड़ा तहसील नागदा
जिला उज्जैन --------अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

आधिनस्थ नयायालय अपर तहसीलदार तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/अ-70/15-16 में दिनांक 6-7-17 को जो आदेश पारित किया एवं आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र निरस्त किया उससे असंतुष्ट एवं दुःखी होकर :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/2852

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30—8—2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 6—7—17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि आवेदक द्वारा अन्य न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होना बतलाया गया है, जबकि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है और वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में अनावेदक का नाम दर्ज है, जो कि प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	